संख्या 3265–5 जी0 एस0 1–73/15225

सेवा में,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

(1) सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डल के आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 15 जून, 1973.

विषय : तदर्थ आधार पर भरी रिक्तियों को नियमित रूप में भरना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5999–5जी0 एस0 1–69/23700, दिनांक 27–10–69 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं और कहूं कि इन हिदायतों के अनुसार प्रत्येक तदर्थ नियुक्ति के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर पूर्णरूप से भरा हुआ मांग-पत्र लोक सेवा आयोग को अवश्य भेज दिया जाना चाहिए ताकि आयोग अपनी सिफारिश समय पर भेज सके । यही हिदायतें सरकार के परिपत्र क्रमांक 6317–1जी0 एस0 1–70/21913, दिनांक 20–8–70 तथा क्रमांक 4495–1 जी0 एस0 1–72/23046, दिनांक 7–8–72 द्वारा दोहराई गई थीं । सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों से तदर्थ आधार पर लगे कर्मचारियों की अवधि 6 मास से आगे बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आयोग/बोर्ड के पास आते रहते हैं पर उन पदों को भरने के लिये मांग-पत्र नहीं भेजे जाते ।

2. सरकार इस मामले को गम्भीरता की दृष्टि से देखती है अतः भविष्य में जब भी किसी रिक्ति को तदर्थ आधार पर भरा जाये तो रिक्ति को भरने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर मांग-पत्र लोक सेवा आयोग/आधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को अवश्य भेजा जाये । यह भी निर्णय किया गया है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आयोग/बोर्ड को अधिकार होगा कि वह 6 मास से आगे नियुक्ति जारी रखने की अनुमति न दे।

3. आपसे प्रार्थना है कि इन हिदायतों की पालना दृढ़ता से की जाये और इसमें किसी भी प्रकार की भूल न हो। कृपया इस पत्र की पावती भी भेजी जाये ।

हस्ता/–
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :–

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा

(2) हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

हस्ता/–
उप–सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।

(2) हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।